Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **बीकानेर में महिला पुलिस थाना की महिला कानिस्टेबल (एस.एच.ओ. रीडर) 20 हजार रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *21 मार्च, गुरूवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर स्पेशल यूनिट, बीकानेर इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये **अनिता विश्नोई महिला कानिस्टेबल (एस.एच.ओ. रीडर), महिला पुलिस थाना, जिला बीकानेर** को परिवादी से **20 हजार रुपये** रिश्वत राशि लेते गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की स्पेशल यूनिट, बीकानेर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके एवं उसके परिजनों के विरूद्ध दर्ज प्रकरण में आरोपियों के नाम निकालने की एवज में आरोपिया अनिता विश्नोई महिला कानिस्टेबल (एस.एच.ओ. रीडर) द्वारा **20 हजार रूपये** रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी बीकानेर के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री हरेन्द्र महावर** के सुपरविजन में एसीबी स्पेशल यूनिट, बीकानेर इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री महावीर प्रसाद शर्मा** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **पुलिस निरीक्षक श्रीमती पिंकी गंगवाल** द्वारा मय टीम के ट्रेप कार्यवाही की गई। आरोपिया महिला कानिस्टेबल द्वारा परिवादी से 20 **हजार रूपये** की रिश्वत राशि प्राप्त कर टेबिल की दराज में रखवाये, जहाँ रिश्वत राशि बरामद की जा चुकी है, जिसपर आरोपिया को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के उप महानिरीक्षक पुलिस श्री हरेन्द्र महावर के निर्देशन में आरोपिया से पूछताछ तथा आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।**